म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26—अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/मंडी/एम.डी./पी.ए./2020/544 भोपाल,दिनांकः 13—04—2020

प्रति,

कलेक्टर,
जिला .... (समस्त) ,
मध्यप्रदेश.

विषयः—कोविड—19 के संक्रमण के चलते राज्य की अनाज मंडियों के संचालन के संबंध में।

कोविड—19 के संक्रमण के चलते संपूर्ण राज्य में सभी अनाज मंडियॉ दिनांक 15.04.2020 तक बंद हैं। केन्द्र शासन के निर्देश क्रमांक 40—3/2020—डीएम—I(ए) दिनांक 24.03.2020 के क्रमांक—2 i द्वारा कृषि उपज मंडियों को लॉकडाउन से मुक्त किया गया है। राज्य शासन द्वारा दिनांक 15.04.2020 से समस्त कृषि उपज मंडियॉ खोलने हेतु निर्णय लिया गया है, परन्तु साथ ही जिला कलेक्टर को स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत् कृषि उपज मंडियों में कार्यवाही स्थगित करने के अधिकार भी दिये गये हैं। अतः स्थानीय परिस्थितियों के परीक्षण उपरान्त दिनांक 15.04.2020 से सभी अनाज मंडियों में गतिविधियॉ प्रारंभ किये जाने के संबंध में कृपया निम्नलिखित जानकारी तत्काल उपलब्ध कराए जाने का कष्ट करें :—

1—

क्रमांक	मंडी का नाम	प्रारंभ किए जाने की दिनांक	यदि 15.04.20 से प्रारंभ नहीं की जाती हैं तो कारण
1	2	3	4

2— यदि लॉकडाउन के कारण 15.04.2020 के बाद भी किसी मंडी का संचालन संभव नहीं है तो ऐसे शहरी क्षेत्रों के मंडी प्रांगण के अतिरिक्त क्या स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई निकटवर्ती स्थान (शहरी क्षेत्र के आसपास ग्रामीण क्षेत्र में भी हो सकता है) उपलब्ध कराया जा सकता है, तो तत्संबंधी जानकारी भी संलग्न कर प्रोषित करें।

13.4.20
(संदीप यादव)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड

क्रमांक/मंडी/एम.डी./पी.ए./2020/545 भोपाल,दिनांकः 13–04–2020

प्रतिलिपिः– **सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1– संयुक्त/उप संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय .... (समस्त)

2– सचिव, कृषि उपज मंडी समिति.............................. (समस्त) म.प्र.।

13.4.20

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

No.40-3/2020-DM-I (A)
Government of India
Ministry of Home Affairs
****

Consolidated Guidelines on the measures to be taken by Ministries/ Departments of Government of India, State/Union Territory Governments and State/ Union Territory Authorities for containment of COVID-19 Epidemic in the Country, as notified by Ministry of Home Affairs Order No. 40-3/2020-DM-I(A) dated 24.03.2020 and further modified on 25.03.2020, 27.03.2020, 02.04.2020, 03.04.2020 and 10.04.2020.

1. Offices of the Government of India, its Autonomous/ Subordinate Offices and Public Corporations shall remain closed.

   Exceptions:

   a. Defence, central armed police forces.
   b. Treasury (including, Pay & Accounts Offices, Financial Advisers and field offices of the Controller General of Accounts, **with bare minimum staff**).
   c. Public utilities (including petroleum, CNG, LPG, PNG), power generation and transmission units, post offices.
   d. Disaster management and Early Warning Agencies
   e. National Informatics Centre.
   f. Customs clearance at ports/airports/land border, GSTN; and MCA 21 Registry **with bare minimum staff.**
   g. Reserve Bank of India and RBI regulated financial markets and entities like NPCI, CCIL, payment system operators and standalone primary dealers **with bare minimum staff**.

2. Offices of the State/ Union Territory Governments, their Autonomous Bodies, Corporations, etc. shall remain closed.

   Exceptions:

   a. Police, home guards, civil defence, fire and emergency services, disaster management, and prisons.
   b. District administration and Treasury (including field offices of the Accountant General **with bare minimum staff**)
   c. Electricity, water, sanitation.
   d. Municipal bodies- Only staff required for essential services like sanitation, personnel related to water supply etc.
   e. Resident Commissioner of States, in New Delhi ***with bare minimum staff*** for coordinating Covid-19 related activities and internal kitchens operations.

f. Forest offices :Staff/ workers required to operate and maintain zoo, nurseries, wildlife, firefighting in forests, watering plantations, patrolling and their necessary transport movement.
g. Social Welfare Department, ***with bare minimum staff***, for operations of Homes for children/ disables/ senior citizens/ destitute/ women /widows: Observation homes: pensions.
h. Agencies engaged in procurement of agriculture products, including MSP operations.
i. 'Mandis' operated by the Agriculture Produce Market Committee or as notified by the State Government.

The above offices (Sl. No 1 & 2) should work with minimum number of employees. All other offices may continue to work-from-home only.

3. Hospitals. Veterinary Hospitals and all related medical establishments, including their manufacturing and distribution units, both in public and private sector, such as dispensaries, chemist, Pharmacies (including Jan Aushadhi Kendra) and medical equipment shops, laboratories, Pharmaceutical research labs, clinics, nursing homes, ambulance etc. will continue to remain functional. The transportation for all medical personnel, nurses, para-medical staff, other hospital support services be permitted.

4. Commercial and private establishments shall be closed down.
Exceptions:
a. Shops, including ration shops (under PDS), dealing with food, groceries, fruits and vegetables, dairy and milk booths, meat and fish, animal fodder, fertilizers, seeds and pesticides. However, district authorities may encourage and facilitate home delivery to minimize the movement of individuals outside their homes.
b. Banks, insurance offices, and ATMs including IT vendors for banking operations: Banking Correspondent and ATM operation and cash management agencies.
c. Print and electronic media.
d. Telecommunications, internet services, broadcasting and cable services. IT and IT enabled Services only (for essential services) and as far as possible to work from home.
e. Delivery of all essential goods including food, pharmaceuticals, medical equipment through E-commerce.
f. Petrol pumps. LPG, Petroleum and gas retail and storage outlets.
g. Power generation, transmission and distribution units and services.
h. Capital and debt market services as notified by the Securities and Exchange Board of India.
i. Cold storage and warehousing services.

j. Private security services.
k. Data and call centers ***for Government activities only***.
l. Farming operations by farmers and farm workers in the field.
m. 'Custom Hiring Centres (CHC)' related to farm machinery.
n. Shops of agriculture machinery, its spare parts (including its supply chain) and repairs to remain open.
o. Shops for truck repairs on highways, preferably at fuel pumps.
p. Operations of the fishing (**marine**)/aquaculture industry, including feeding & maintenance; hatcheries, feed plants, commercial aquaria, movement of fish/shrimp and fish products, fish seed/feed and workers for all these activities.

All other establishments may work-from-home only.

5. Industrial Establishments will remain closed.
Exceptions:
a. Manufacturing units of essential goods, including drugs, pharmaceutical, medical devices, their raw materials & intermediates.
b. Production units, which require continuous process, after obtaining required permission from the State Government.
c. Coal and mineral production, transportation, supply of explosives and activities incidental to mining operations.
d. Manufacturing units of packaging material for food items, drugs, pharmaceutical and medical devices.
e. Manufacturing and packaging units of Fertilizers, Pesticides and Seeds.
f. Tea industry, including plantation with maximum of 50% workers.

6. All transport services – air, rail, roadways – will remain suspended.
Exceptions:
a. Transportation for essential goods only.
b. Fire, law and order and emergency services.
c. Operations of Railways, Airports and Seaports for cargo movement, relief and evacuation and their related operational organisations.
d. Inter-state movement of goods/ cargo for inland and exports.
e. Cross land border movement of essential goods including petroleum products and LPG, food products, medical supplies.
f. Intra and inter-state movement of harvesting and sowing related machines like combined harvester and other agriculture/horticulture implements.
g. Transit arrangements for foreign national(s) in India. **(as per attached SOP)**

7. Hospitality Services to remain suspended
Exceptions:

a. Hotels, home stays, lodges and motels, which are accommodating tourists and persons stranded due to lockdown, medical and emergency staff, air and sea crew.

b. Establishments used/ earmarked for quarantine facilities.

8. All educational, training, research, coaching institutions etc. shall remain closed.

9. All places of worship shall be closed for public. No religious congregations will be permitted, without any exception.

10. All social/ political/ sports/ entertainment/ academic/ cultural/ religious functions / gatherings shall be barred.

11. In case of funerals, congregation of not more than twenty persons will be permitted.

12. All persons who have arrived into India after 15.02.2020, and all such persons who have been directed by health care personnel to remain under strict home/ institutional quarantine for a period as decided by local Health Authorities, failing which they will be liable to legal action under Sec. 188 of the IPC.

Exceptions:

a. Release of quarantined persons, who have arrived in India after 15.2.2020, after expiry of their quarantine period and being tested Covid-19 negative **(as per attached SOP).**

13. Wherever exceptions to above containment measures have been allowed, the organisations/employers must ensure necessary precautions against COVID-19 virus, as well as social distance measures, as advised by the Health Department from time to time.

14. In order to implement these containment measures, the District Magistrate will deploy Executive Magistrates as Incident Commanders in the respective local jurisdictions. The Incident Commander will be responsible for the overall implementation of these measures in their respective jurisdictions. All other line department officials in the specified area will work under the directions of such incident commander. The Incident Commander will issue passes for enabling essential movements as explained.

15. All enforcing authorities to note that these strict restrictions fundamentally relate to movement of people, but not to that of essential goods.

16. The Incident Commanders will in particular ensure that all efforts for mobilization of resources, workers and material for augmentation and expansion of hospital infrastructure shall continue without any hindrance.

17. Any person violating these containment measures will be liable to be proceeded against as per the provisions of Section 51 to 60 of the Disaster Management Act, 2005, besides legal action under Sec. 188 of the IPC.

Note: As specified in the lockdown measures, social distancing and proper hygiene practices must be ensured in each of the above activities. It will be the responsibility of the head of the organisation/establishment to ensure compliance of such norms. The district authorities will ensure strict enforcement.

***

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/ F-16-03-2020/ 14-2/ 1317 भोपाल दिनांक 13/04/2020

प्रति,

कलेक्टर (समस्त)
जिला ....(म0प्र0)

विषयः- कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण अवधि में प्रदेश की मण्डी समितियो में कृषि उपज के क्रय-विक्रय प्रारंभ किये जाने के संबंध में।

जैसा कि आपको विदित है प्रदेश में कोरोना वायरस (COVID -19) के संक्रमण से निर्मित परिस्थिति के कारण आम नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से सभी जिलों में लाॅकडाउन किया गया है। COVID -19 से बचाव हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए राज्य शासन द्वारा दिनांक 15 अप्रैल 2020 से मंडी समितियो में किसानों की कृषि उपज का विक्रय प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया है।

मंडी समितियों में किसानों की उपस्थिति को व्यवस्थित करने एवं कृषि उपज का क्रय-विक्रय सुगम बनाने के लिये, मंडी समितियों तथा अन्य अधिकृत क्रय स्थानों पर कोरोना से बचाव हेतु परिशिष्ट-1 अनुसार व्यवस्था की जाना है। मंडी प्रांगण में खरीदी के अतिरिक्त निम्नानुसार माध्यमो से अधिसूचित कृषि उपज की खरीदी की जायेगी -

(1) प्रायवेट खरीदी केन्द्रो (विशिष्ट अनुज्ञप्तिधारक द्वारा) पर खरीदी- मण्डी समिति क्षेत्र मे मण्डी प्रांगण के बाहर किसी भी व्यक्ति, फर्म/संस्था तथा खाद्य प्रसंस्करण इकाई को कृषि उपज क्रय करने हेतु संबंधित मण्डी समिति द्वारा छः माह के लिए अनंतिम अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जाएगी। इसके लिए आवेदन शुल्क रूपये 500/- प्रति क्रय केन्द्र होगा। एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में क्रय केन्द्र खोलने हेतु मंडी बोर्ड स्तर से विशेष अनुज्ञप्ति (एकल लायसेंस) जारी की जावेगी।

1.1 आवेदक खरीदी केन्द्र प्रांरभ करने के पूर्व उसकी एक दिन की घोषित क्रय क्षमता के बराबर प्रतिभूति राशि आॅनलाईन ट्रांसफर, नगद, चैक, एफ.डी.आर., डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंक गारंटी के माध्यम से मण्डी समिति में जमा करेगा। आवेदक द्वारा व्यापारी लाइसेंस के साथ यदि प्रतिभूति जमा की गई है तो उसके अतिरिक्त ऐसी प्रतिभूति नहीं ली जावेगी।

1.2 खरीदी केन्द्र हेतु पर्याप्त खुला स्थान होना आवश्यक होगा ताकि सोशल डिस्टेंसिग के मापदण्डो का पालन हो सके। ऐसे प्रत्येक खरीदी केन्द्र पर डिस्प्ले बोर्ड स्थापित किया जाएगा, जिस पर अनुज्ञप्तिधारक द्वारा निकटतम मण्डी की प्रतिदिन की माॅडल दरें प्रदर्शित की जावेगी।

1.3 खरीदी केन्द्रों पर विक्रय संव्यवहार के लिए सौदा-पत्रक जारी किया जाएगा तथा कृषि उपज की तुलाई मण्डी के लायसेंसी तुलैया द्वारा की जायेगी।

1.4 विक्रेता कृषक को उसके द्वारा बेची गई कृषि उपज का भुगतान क्रेता द्वारा उसी दिन किया जाएगा। यदि क्रेता द्वारा उसी दिन भुगतान नहीं किया जाता है, तो वह कुल कीमत का 1% प्रतिदिन की दर से 5 दिवस तक अतिरिक्त भुगतान विक्रेता को करेगा। यदि क्रेता पांच दिवस में भुगतान करने में असफल रहता है, तो उसे स्वीकृत की गई अनुज्ञप्ति रद्द हो जाएगी और उसके द्वारा जमा की गई प्रतिभूति को राजसात करके विक्रेता किसान को भुगतान किया जाएगा।

1.5 खरीदी केन्द्र पर क्रय की गयी कृषि उपज का विक्रय मूल्य का विक्रेता को पूर्ण भुगतान, देय मंडी शुल्क तथा निराश्रित शुल्क के भुगतान होने के बाद ई-अनुज्ञा के माध्यम से क्रय कृषि उपज की निकासी की जाएगी।

1.6 मण्डी समिति खरीदी केन्द्र का समुचित पर्यवेक्षण करेगी।

1.7 खरीदी केन्द्र पर अनुज्ञप्तिधारक द्वारा किसानो की अधिक संख्या को नियंत्रित रखा जायेगा ताकि संक्रमण से बचाव हेतु भारत सरकार एवं शासन द्वारा जारी निर्देशो के अनुसार व्यवस्थाऐ हो सके। किसी भी अव्यवस्था के लिए अनुज्ञप्तिधारक उत्तरदायी होगा।

(2) **सौदा-पत्रक के माध्यम से**:- मण्डी उपविधि, 2000 की कण्डिका 16(4) मे सौदा पत्रक द्वारा कृषि उपज के विक्रय का प्रावधान संशोधित किया गया है जिसके अनुसार "परन्तु मंडी क्षेत्र का विक्रेता यदि अपनी अधिसूचित कृषि उपज को किसी कारणवश मंडी प्रांगण में नही ला पाता है और नमूने के आधार पर कृषि उपज का विक्रय करना चाहता है तब नमूने के आधार पर उसका घोष विक्रय कराया जायेगा अथवा मंडी प्रांगण के बाहर यदि क्रेता एवं विक्रेता की पूर्व सहमति हो चुकी है तब आपसी सहमति के आधार पर ऐसे सौदे के संबंध में सचिव, मंडी समिति द्वारा प्रारूप-दो में सौदा पत्रक सम्पादित कराया जाएगा।

मंडी प्रांगण के बाहर अधिसूचित कृषि उपजो का क्रय-विक्रय उपविधि कंडिका (31) के अधीन स्थापित क्रय केन्द्रों पर भी प्रारूप दो(अ) में सौदा पत्रक सम्पादित कराया जाएगा।"

उपरोक्त बिंदु के संबंध में प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

2.1 सौदा पत्रक के आधार पर क्रय की गई कृषि उपज की तौल सौदा पत्रक मे उल्लेखित स्थान पर अनुज्ञप्तिधारी तुलैया द्वारा की जायेगी। बीओटी तौल कांटे से जारी इलेक्ट्रानिक पर्ची भी मान्य होगी।

2.2 तौल पर्ची मे वास्तविक वजन, केृरता व्यापारी का नाम तथा कृषि उपज की विक्रय की दर अंकित की जायेगी। सौदा पत्रक मण्डी कर्मचारी के द्वारा जारी किया जायेगा।

2.3 क्रय केन्द्रों पर तौल पुस्तिका केृरता द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी एवं अन्य समस्त विक्रय संव्यवहारों में तौल पुस्तिका मंडी समिति द्वारा तुलैया को उपलब्ध कराई जायेगी जिसका अभिलेख मण्डी समिति संधारित करेगी।

2.4 सौदा पत्रक निष्पादित हो जाने के बाद बेची गई कृषि उपज के मूल्य मे किसी भी प्रकार का परिवर्तन नही किया जायेगा और न ही सौदा पत्रक मे अंकित उपज की तौल कराने के लिए केृरता/विकेृरता इंकार नही कर सकेगा यदि कोई आपत्ति है तो वह लिखित आवेदन मण्डी सचिव को प्रस्तुत किया जायेगा। मण्डी सचिव परीक्षण पश्चात् उसी दिन विनिश्चिय करेगा।

2.5 सौदा पत्रक मे उल्लेखित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति कृषि उपज क्रय नही करेगा।

2.6 तौल पर्ची के आधार पर केृरता व्यापारी द्वारा भुगतान पत्रक जारी किया जायेगा। विकेृरता किसान को उसी दिन पूर्ण भुगतान किया जायेगा। विकेृरता के भुगतान की पुष्टि हो जाने एवं मण्डी शुल्क एवं निराश्रित शुल्क भुगतान के बाद केृरता को क्रय की गई कृषि उपज की निकासी के लिए ई-अनुज्ञा जारी की जायेगी।

(3) **ई-नाम -** आॅनलाइन विक्रय की व्यवस्था हमारी 58 मंडियों मे चल रही है। 25 और नई मंडियो मे ई-नाम व्यवस्था शीघ्र चालु कर रहे है। ई-नाम पोर्टल पर किसान कृषि उपज मंडी मे आये बगैर भी दो तरह से अपनी फसल बेच सकता है।

3.1- **एफ.पी.ओ. माॅड्युल**- ई-नाम पोर्टल पर पंजीकृत किसान उत्पाद संगठन (FPO) द्वारा कृषि उपज को एफपीओ सेंटर से मंडी समिति के लायसेंसी एफपीओ अथवा अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी को ई-ट्रेर्डिंग के द्वारा विक्रय किया जा सकता है। इस प्रक्रिया मे कृषि उपज की तुलाई के पश्चात् ई-पे के माध्यम से आॅनलाईन भुगतान किया जायेगा एवं भुगतान सुनिश्चित होने के उपरांत क्रय की गई उपज का परिवहन किया जायेगा।

3.2 ई-नाम पोर्टल पर पंजीकृत किसान अपने मोबाइल एप के माध्यम से अपने घर/फार्म से आॅनलाईन गेट एन्ट्री की जायेगी और उसके उपरांत संबंधित मण्डी समिति द्वारा आॅनलाईन टेडिग की आगे की प्रक्रिया पूरी की जायेगी। इसमे किसान को भुगतान के पश्चात उपज की डिलीवरी की कार्यवाही की जायेगी।

(4) मध्य प्रदेश में म. प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) के द्वारा भी किसानों की कृषि उपज विक्रय के लिए "मार्कफेड एग्री व्यापार" के माॅडल पर कार्य किया जा रहा है। जिले की आवश्यकता अनुसार इस माॅडल पर भी कृषि उपज का क्रय-विक्रय करने के बारे में विचार किया जा सकता है।

कृपया आपके जिले में कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण की वर्तमान परिस्थिति अनुसार किसानों की कृषि उपज का विक्रय के लिए उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाये।

(अजीत केसरी)
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन
किसान कल्याण एव कृषि विकास विभाग

क्रमांक/ F-16-03-2020/ 14-2/ 1318 भोपाल दिनांक 13/04/2020

प्रतिलिपि

1. मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव सह-कृषि उत्पादन आयुक्त मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।
4. आयुक्त सह-प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. आयुक्त, सहकारिता सह पंजीयक सहाकरी संस्थाएं, भोपाल।
6. प्रबंध संचालक, म प्र राज्य सहकारी विपणन संघ, भोपाल।

प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन
किसान कल्याण एव कृषि विकास विभाग

परिशिष्ट-एक

मंडी समितियो के संचालन मे कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव संबंधी निर्देश

प्रदेश की सभी मंडी समितियो मे कृषि उपज का क्रय-विक्रय दिनाॅक 15.04.2020 से चालू किया जाना है। मडी समितियो मे कार्यरत् कर्मचारियो, व्यापारी, हम्माल एवं तुलावटी की संख्या लगभग 500 से 1000 तक होती है तथा प्रतिदिन मंडी सीजन मे किसान भी ब्रडी संख्या मे पहुचते है। कृत्यकारी एवं किसानो की उपस्थिति को देखते हुये मंडी प्रागंण मे मंडी संचालन अवधि मे इनको कोविड-19 के संक्रमण से बचाने के लिये उपाय करना आवश्यक है।

मंडी/उपमंडी परिसरो स्वीकृत खरीदी केन्द्रो मे कार्यरत कर्मचारियो, व्यापारियो, हम्माल तुलवाटियो एवं किसानो को कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के प्रसार को रोकने के उपायो की जानकारी दी जायेगी। इसके लिये व्यापक प्रचार-प्रसार, प्रशिक्षण दिया जाये। प्रत्येक खरीदी स्थल पर सभी के लिये मास्क, सेनेटाईजर उपलब्ध कराये जाये एवं सोशल डिस्टेंस के महत्व को बताते हुये मंडी संचालन किया जावे। मंडी मे कर्मचारियो, हम्माल तुलावटियो एवं व्यापारियो की समय-समय पर चिकित्सा परीक्षण करा लिये जाये।

मंडी/उपमंडी प्रागंण एवं खरीदी केन्द्रो पर मंडी कृत्याकारी एवं किसानो के लिये प्रतिदिन निम्नानुसार प्रोटोकाल का पालन किया जाये:-

(1). मंडी परिसर/खरीदी केन्द्रो मे कार्यरत कर्मचारियो, व्यापारी, हम्माल तुलवाटी के लिये प्रोटोकाल -

1.1 मंडी मे कार्य प्रारंभ करने केे पहले एंव नियमित अंतराल मे (न्यूनतम 02 घंटे मे) साबुन एवं हेण्ड वाॅस से अच्छे से हाथ धोये जाये।

1.2 आॅखो को छोड़कर संपूर्ण चेहरे को मास्क/गमछे से ढका जाये।

1.3 मंडी मे कार्य मे संलग्न प्रत्येक व्यक्ति का कानटेक्टलेस थर्मामीटर से तापमान चेक किया जाये। यदि उसे बुखार पाया जाता है तो कार्य करने की अनुमति ना दी जाये।

1.4 ऐसे समस्त व्यक्तियो जिनको बुखार अथवा खाॅसी-जुखाम के लक्षण हो उन्हे कार्य पर नहीं लिया जाये और उन्हे निकतम स्वास्थ्य चिकित्सक से परामर्श हेतु सलाह दी जाये।

1.5 निवास स्थान से मंडी आने के लिये एक वाहन मे एक से अधिक कर्मचारी न आये।

1.6 मंडी/उपमंडी प्रागंण एवं खरीदी केन्द्रो मे आने वाले सभी व्यक्तियो की जागरूकता के लिये कोविड-19 से सुरक्षा के लिये नियमित उद्घोषण कराई, जाये तथा पोस्टर/बैनर लगाये जाये तथा यह भी समझाईश दी जाये कि खाॅसते एवं छीकते समय मुॅह ढका रहे।

1.7 मंडी/उपमंडी प्रागंण एवं खरीदी केन्द्रो मे कर्मचारियो एवं अन्य व्यक्तियो की उपस्थिति बायोमेट्रिक न कराई जाये।

1.8 कार्य समाप्ति के पश्चात् एवं उनके निवास मे प्रवेश से पहले/घर मे प्रवेश करते ही प्रत्यके व्यक्ति एवं कर्मचारी द्वारा कार्य दिवस मे उपयोग होने वाले कपडे बदलने एवं स्नान करने का परामर्श दिया जाये।

(2). मंडी परिसर/खरीदी केन्द्रो मे आने वाले किसानो के लिये निम्नानुसार प्रोटोकाल -

2.1 मंडी प्रागंण मे किसानो के प्रवेश के करने केे पहले एंव नियमित अंतराल मे (न्यूनतम 02 घंटे मे) साबुन एवं हेण्ड वाॅस से अच्छे से हाथ धोये जाये।

2.2 किसानो को आॅखो को छोड़कर संपूर्ण चेहरे को मास्क/गमछे से ढकने को कहा जाये, ऐसा नही करने पर मंडी मे प्रवेश से रोका जाये।

2.3 किसानो का कानटेक्टलेस थर्मामीटर से तापमान चेक किया जाये। यदि उसे बुखार पाया जाता है तो प्रवेश की अनुमति ना दी जाये।

2.4 किसी भी किसान एवं साथ आने वाले व्यक्ति जिनको बुखार अथवा खाॅसी-जुखाम के लक्षण हो उन्हे मंडी मे प्रवेश नही दिया जाये और उन्हे निकतम स्वास्थ्य चिकित्सक से परामर्श हेतु सलाह दी जाये।

2.5 एक ट्रेक्टर/मालवाहक वाहन मे दो से अधिक किसान/व्यक्ति को आने की अनुमति न दी जाये।

2.6 मंडी मे आने वाले किसानो को समाझाईश दी जाये कि वे कार्य समाप्ति के पश्चात् एवं उनके निवास पहुचने पर कपडे बदले एवं स्नान करे।

(3) संस्थागत प्रोटोकाल -

3.1 मंडी/उपमंडी/खरीद केन्द्रेरा मे किसान सम्मेलन एवं अन्य कोई कोई ऐसे कार्यक्रम न किये जाये जिसमे बडी संख्या मे लोग उपस्थिति होगें।

3.2 मंडी/उपमंडी/खरीद केन्द्रेरा मे स्थित शौचालायो, कार्यलयो, केंटीन, विश्राम कक्ष मे नियमित साफ-सफाई एवं पानी की व्यवस्था रखी जाये।

3.3 उक्त परिसरो मे पर्याप्त मात्रा मे साबुन-हेण्डवाश, सेनेटाईजर, मास्क की व्यवस्था की जाये।

3.4 मंडी परिसर मे नियमित कवर्ड शेड, ओपन प्लेटफार्म तथा मंडी खुले परिसर कार्यलय भवन, प्रवेश द्वार इत्यादि की साफ-सफाई एवं दिन मे कम से कम दो बार सेनेटाईज कराने हेत छिड़काव कराये जाये।

3.5 अनाज एवं फल सब्जी मंडिया मे खेरची एव फुटकर व्यापार का संचालन मंडी/उपमंडी परिसर मे ना किया जाये।

3.6 भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु जारी निर्देशो का पालन किया जाये।

उक्त निर्देश फल सब्जी मंडियो के लिये भी प्रभावशील होगे।